5रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES COURT FEE

56

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक /2015 जिला–दतिया

निग/320-I-15

1. मानवेन्द्र उम्र 12 वर्ष नाबालिग पुत्र श्री नरेन्द्र कोहली
2. जयदीप नाबालिग उम्र 5 वर्ष पुत्र श्री नरेन्द्र कोहली द्वारा संरक्षक नरेन्द्र कोहली पुत्र श्री ग्यासीराम कोरी निवासी–इमलीपुरा तहसील व जिला दतिया (म.प्र.)

–– आवेदकगण

विरूद्ध

1. श्रीमती मनकू पत्नी श्री भगवानदास कोरी पुत्र रट्टी कोरी निवासी ग्राम कुम्हरार तहसील मौठ जिला झांसी (उ.प्र.)
2. श्रीमती राजकुमारी पत्नी श्री ग्याप्रसाद कोरी निवासी ग्राम बावई पोस्ट–पूँछ, तहसील मौठ जिला झांसी (उ.प्र.)
3. श्रीमती सुनीता उर्फ कुम्हरार वाली पत्नी घनाराम कोरी निवासी ग्राम गोपाल पुरा ग्राम पंचायत मोराघाट तहसील मौठ जिला झांसी (उ.प्र.)

–– अनावेदकगण

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी, अनुभाग दतिया द्वारा प्रकरण क्रमांक 13/2014–15/अपील में पारित आदेश दिनांक 12.01.2015 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

आवेदकगण की ओर से यह पुनरीक्षण निम्न तथ्यों व आधारों पर न्यायदान हेतु प्रस्तुत है :–

मामले के संक्षिप्त तथ्य :

1. यहकि, ग्राम तगा पटवारी हल्का नं. 106 स्थित आराजी सर्वे क्र. 30/2 रकवा 0.90 है0 का पूर्व भूमि स्वामी हरप्रसाद पुत्र मनीराम कोरी था। जो मूलतः इमलीपुरा दतिया का निवासी था एवं वह आवेदक के रिश्ते में बाबा लगता था एवं हरप्रसाद ग्राम तगा में निवास करने लगा था, हरप्रसाद का विवाह अनावेदक क्रमांक 1 मनकू से हुआ था। परन्तु पति पत्नी के अनवन होने से वह हरप्रसाद को उसके जीवनकाल में ही शादी के पश्चात् छोडकर चली गयी थी। हरप्रसाद व मनकू से कोई संतान उत्पन्न नहीं हुयी थी। इस प्रकार हरप्रसाद विधुर एवं निःसंतान था। 35 वर्ष पूर्व मनकू ने हरप्रसाद को छोडकर चले जाने के पश्चात् ग्राम कुम्हरार के भगवानदास पुत्र रट्टीकोरी से शादी कर ली एवं उसे अपना पति बना लिया था। जिससे अनावेदक क्रमांक 2 व 3 मनकू व भगवान दास से उत्पन्न हुयी उक्त हरप्रसाद चूकि विधुर व निःसंतान था। जिसे आवेदक के पिता नरेन्द्र कोहली द्वारा आश्रय दिया एवं जीवन पर्यन्त अपने पास रखा एवं सेवा संभाल की एवं उक्त हरप्रसाद की आवेदकगण ने सेवा संभाल की एवं वह उक्त आवेदक से प्रेम स्नेह करने लगा था। जिससे प्रसन्न होकर उक्त हरप्रसाद के द्वारा भली प्रकार से

R. 320-ए/15

(21)

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभावकों आदि के हस्ता
12/2/15	आवेदक अधि. श्री के. के. त्रिवेदी उप. उन्हें ग्राह्यता पर सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया। आलोच्य आदेश अपील योग्य आदेश है, जिसके विरुद्ध निगरानी ग्राह्य नहीं है। अतः आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी आवेदन को सक्षम न्यायालय में पेश करने हेतु वापिस की जाये। (हस्ताक्षर) प्रशा. सदस्य	(हस्ताक्षर)